



मु० न०:- 123/2022

तारीखरजु:- 11.7.22

उनवान:- कमलेश बनाम सुवाबाई
दावा बाबत तकारमा आराजीयात, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
11/7/22	<p>वादी की और से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा बाबत तकारमा आराजीयात, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 22.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
22/7/22	<p>वादी वकील उ००। प्रतिवादी न० 31, 32, 33, 41, 44, 47, 48, 65, 79, 87, 109, 126, 133, 136, 137, 138, 140, 149 के नोटिस तामील स्वंच व परिवारका से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बाबाजूड सूचना कोर्ड उ०० नही हुआ। उक्त के खिलाफ एक तरफ़ा कार्रवाई अग्रल मे लाई जाली है। एवं प्रतिवादी न० 141 की ओर से श्री रामभरोली गुप्ता ए० ने मीमो पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। शेष प्रतिवादी न० 1 लगा 30, 34 लगा 40, 42, 43, 45, 46, 49 लगा 64, 66 लगा 78, 80 लगा 86, 88 लगा 108, 110 लगा 125, 127 लगा 132, 134, 135, 139 के नोटिस तामील विबिबत नही हुए है। पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को डिप्लर दी गई। वास्ते तबवी दिनांक 12.8.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
12.8.22	<p>वादी वकील उ००। प्रतिवादी न० 141 की ओर से श्री रामभरोली गुप्ता ए० ने जबाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। नकल वादी वकील को डिसाई गई। 110 शाहल अनसुलाई मे व्यस्त है। वास्ते शामिल कोर्ड</p>

404-4183
11.7.22



दिनांक	फर्द अहकाम
22-1-25	<p>पतापत्री पेश हुई / वकील उममपडाकारण उपर वाक्ये लखी काजम मुकाम दिनांक 18-2-25 को पेश है</p>
18-2-25	<p>वादी वकील / वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी: श्री. ज. क. श्री. का. श्री. प. श्री. पत्रावली गतानुसार दिनांक. 25-3-26 को पेश है</p>
25-3-25	<p>वादी वकील / वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी: श्री. ज. क. श्री. का. श्री. प. श्री. पत्रावली गतानुसार दिनांक. 25-3-25 को पेश है</p>
6-5-25	<p>पतापत्री पेश हुई / वकील उममपडाकारण उपस्थित नहीं / वाक्ये लखी काजम मुकाम है। इसके वाक्ये लखी काजम मुकाम पडाकारण वकील उपस्थित नहीं है। इसके वकील उममपडाकारण का उक्त डाक पत्रावली की डाक पत्रावली काजम मुकाम में वाक्ये लखी पेश है। पतापत्री पेश हुई है। न्यायालय का काम कर डाक पत्रावली है।</p>